न्यायालय अपर समाहर्ता, गिरिडीह

विविध वाद सं0 02/2020

उमेश शर्मा .....आवेदक।

बनाम

रोशन कुमार वगै0 .....विपक्षी।

आदेश

1. उमेश शर्मा वल्द श्री देवनारायण हजाम ने यह विविध वाद अंचल अधिकारी, तिसरी तथा अंचल कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध यह वाद दाखिल किया है क्योंकि अंचल अधिकारी ने आवेदक के दादा गुरूसहाय हजाम के नाम से रजिस्टर-।। में दर्ज नाम को अवैध रूप से हटा दिया है। रजिस्टर-।। में दर्ज नाम हटाने से पहले ने तो गुरूसहाय हजाम के वंशजों को कोई नोटिश दिया गया न तो उनको सुना गया। विपक्षीगण को नोटिश भेजा गया। विपक्षी नं0 2, 4 और 5 न्यायालय में हाजिर होकर लिखित जवाब दाखिल नहीं किया और ना ही बहस किया तथा विपक्षी नं0 1 और 3 अदालत में हाजिर नहीं हुआ। इसलिये इस विविध वाद को विपक्षी नं0 1 और 3 के खिलाफ एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश में निर्धारित किया गया। आवेदक के विद्धान अधिवक्ता का बहस सुना गया तथा वाद को आदेश में निर्धारित किया गया।
2. मौजा लोकाय, वर्तमान थाना लोकाय नयनपुर, अंचल तिसरी, जिला गिरिडीह का खाता नं0 06 का जमीन सर्वे खतियान में गुलाब महतो पिता कुन्जो महतो तथा तुरसीया महतो पिता टेकन महतो के नाम से दर्ज है खतियानी रैयत ने तत्कालीन जमीन्दार गांवां इस्टेट के जमीन का इस्तीफा दे दिया उसके बाद खाता नं0 06 का जमीन कुल रकवा 14.75 एकड़ में से 6.75 एकड़ जमीन कुल 40 प्लौट में गुरूसहाय हजाम के नाम से बन्दोबस्ती कर दिया, बन्दोबस्ती हुकुमनामा गुरूसहाय

लगातार.....2

हजाम के नाम से जारी हुआ तथा गुरूसहाय हजाम गांवां इस्टेट के पक्ष में कबूलियत लिखा, गुरूसहाय हजाम जमीन्दारी कायम रहने तक जमीन्दार को माल देता रहा, जमीन्दारी समाप्त होने के बाद बिहार सरकार तत्पश्चात झारखण्ड सरकार को मालगुजारी देता रहा, गुरूसहाय हजाम ने अपने बंदोबस्ती के जमीन में से बंधु साव, भूपाल साव को केवाला लिखा। गुरूसहाय हजाम ने पुनः बन्धु साव, भुपाल साव, श्याम सुन्दर महतो, बैजनाथ महतो, जयकिशोर महतो, विजय किशोर महतो, मेघु मियाँ, बिस्पत मियाँ, परमली मियाँ को भी केवाला लिखा। इसके अलावा भी अन्य केवाला गुरूसहाय हजाम ने लिखा तथा खरीददारों का जमाबन्दी कायम होकर रसीद कट रहा है। सभी केवाला का पूर्ण विवरण दिया गया है जिससे प्रतीत होता है कि 6.75 एकड़ जमीन के मध्ये 1.81 एकड़ जमीन का बिक्री हो गया तथा 4.94 एकड़ जमीन गुरूसहाय हजाम के वंशज के पास बचा हुआ है। गुरूसहाय हजाम के नाम से ऑनलाईन रजिस्टर-।। 22.07.2020 तक कायम था लेकिन अंचलाधिकारी ने बिना नोटिस जारी किये तथा बिना किसी पक्ष के सुने हुए दिनांक 26.07.2020 को गुरूसहाय हजाम का नाम रजिस्टर-।। से हटा दिया है।

मैं पाता हूँ कि अंचल अधिकारी, तिसरी के द्वारा रजिस्टर-।। से गुरूसहाय हजाम का नाम हटाना बिल्कुल गलत है। यह कानूनी मान्यता है कि किसी भी पक्ष को बिना सुने हुए तथा कोई लिखित आदेश के बिना लम्बे समय से कायम जमाबन्दी को हटाया नहीं जा सकता है।

अतः अंचल अधिकारी तिसरी को निर्देश दिया जाता है कि गुरूसहाय हजाम के नाम से कायम जमाबन्दी को पुनः चालु करें तथा रजिस्टर-।। पंजी में दर्ज करें ।

18/04/24

अपर समाहर्ता,

गिरिडीह।